# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

## पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

वाद पत्र संख्या– 48/2024

श्रीराम किशनावत पुत्र रघुवीर सिंह जाति बारेठ नि0 बाढ मथुरा दास, तह. जोबनेर जि0 जयपुर।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी

<u>वाद बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 188, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः–05.07.2024

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया है कि वादी की दत्तक माता रामकँवर पत्नि कृपाराम का जमाबंदी अंतिम चोसला संवत 2073 से 2076 एवं जमाबंदी संवत 2078 वर्ष 2022 वाकै ग्राम बाढ मथुरा दास पटवार हल्का आसलपुर तहसील जोबनेर मे वर्णित खाता नंबर नया 2 पुराना 2 की आराजी ख0न0 63 रकबा 0.0885 है0 किस्म गै0मु0 चाह में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या नया 12 पुराना 11 की आराजी खसरा नं0 50/2 रकबा 0.0126 है0 किस्म चाही–ए, खसरा नं0 54/3 रकबा 0.0126 हे0 बारानी–1 में हिस्सा 1/15, खाता संख्या नया 34 पुराना 21 की आराजी खसरा नं0 35 रकबा 0.6828 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 66 रकबा 0.2403 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 79/65 रकबा 0.4046 हे0 किस्म चाही–1 जाव–1 में 1/3 हिस्सा, खाता संख्या नया 35 पुराना 32 आराजीयात खसरा नंबरान 10/3 रकबा 1.3910 हे0 किस्म चाही–1, खसरा नं0 11/1 रकबा 0.0126 हे0 किस्म बंजड डोल, खसरा नं0 27/2 रकबा 0.9484 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 40/5 रकबा 0.1012 हे0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 47 रकबा 0.67 हे0 किस्म चाही–ए,जाव–ए, खसरा नं0 48 रकबा 0.0506 हे0 किस्म गै0मु0 बाडा, खसरा नं0 5/2 रकबा 0.6702 हे0

उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

किस्म बारानी–1, खसरा नं0 50/1 रकवा 0.0506 हे0 किस्म चाही–ए, खसरा नं0 50/3 रकवा 0.1897 हे0 किस्म चाही–ए, खसरा नं0 51/1 रकबा 0.1391 हे0 किस्म चाही–ए, खसरा नं0 51/1 रकवा 0.2782 हे0 किस्म चाही–ए, बारानी–1, खसरा नं0 7/3 रकवा 0.2150 हे0 किस्म चाही–1 बंजड डोल में 1/3 हिस्सा, खाता संख्या 38 पुराना 12 की आराजीयात खसरा नं0 27/1 रकवा 0.2908 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 51/3 रकवा 0.0379 हे0 किस्म चाही–ए, खसरा नं0 54/8 रकवा 0. 0253 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 56/3 रकवा 0.0759 हे0 किस्म बारानी–1 में 1/15 हिस्सा, खाता नया संख्या 39 पुराना 12 की आराजीयात खसरा नं0 10/2 रकवा 0.1391 हे0 किस्म चाही–1, खसरा नं0 12/2 रकवा 0.0379 हे0 किस्म चाही–1, खसरा नं0 19/2 रकवा 0. 0126 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 2 रकवा 0.1391 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 4/4 रकवा 0.0506 हे0 किस्म बारानी–1, खसरा नं0 40/1 रकवा 0.0506 हे0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 7/2 रकवा 0.0126 हे0 किस्म बंजड डोल, खसरा नं0 8 रकवा 0.0253 हे0 गै0मु0 रास्ता में 1/15 हिस्सा दर्ज है।

वादी को बचपन में ही वर्ष 2010 में वादी के माता–पिता द्वारा रामकँवर उर्फ रायकँवर पत्नि कृपाराम जो वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है व उनके पति कृपाराम पुत्र बालदान को गौद की रस्में अदाकर गौद दे दिया था। तब से वादी अपने दत्तक माता–पिता के पास रहता आ रहा था। वादी की दत्तक माता रामकँवर उर्फ रायकँवर पत्नि कृपाराम का देहान्त 20.03.202 को हो गया। वादी के दत्तक पिता कृपाराम का देहान्त भी दिनांक 23.11.2016 को हो चुका है। वादी के अलावा खातेदार रामकँवर उर्फ रायकँवर पत्नि कृपाराम के कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है, वादी एक मात्र वारिस है। इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 2, 12, 34, 35, 38, 39 व 104 वाके ग्राम बाढ मथुरा दास पटवार हल्का आसलपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में रामकँवर पत्नि कृपाराम की बजाय वादी श्रीराम किशनावत पुत्र रघुवीर सिंह जाति बारेठ नि0 बाढ मथुरा दास तहसील जोबनेर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस की गयी। प्रतिवादी तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 20/06/2024 को जवाब/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:– मौके पर उपस्थित मौतविरान से मृतका के वारिसान के बारे में जानकारी ली गयी। उपस्थितान ने बताया की रामॅकवर पत्नि कृपाराम जाति चारण के कोई औलाद नही थी। उपस्थितान ने बताया कि श्रीराम पुत्र रघुवीर सिंह जाति चारण नि0 बाढ मथुरा दास जन्म से ही मृतका रामकँवर पत्नि कृपाराम के पास पुत्री की तरह रहते थे। रामकँवर पत्नि कृपाराम पढी लिखी नहीं थी, इस वजह से नासमझ के कारण मृतका ने सक्षम न्यायालय से नियमानुसार गोदपत्र नहीं बनवा पायी। उपस्थित मौतविरानों ने बताया कि स्व0 कृपाराम पुत्र बालदान एवं स्व0 रामकँवर पत्नि कृपाराम के समस्त क्रिया–कर्म, पगढी रश्म आदि सांसारिक कार्य

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

श्रीराम पुत्र रघुवीर सिंह ने ही तत्समय अदा की थी। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि कृपाराम पुत्र बालदान के दो भाई व दो बहने भी है, जिनमें से दोनों भाईयों की मृत्यु हो चुकी है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे साक्ष्य वादी में पीडब्लयू 1 स्वयं वादी, पीडब्लयू 2 सुखदेव बारेठ एवं पीडब्लयू 3 गिरधारी सिंह के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित कराया गया। वादी द्वारा वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये। जिनमें प्रर्दश 1 खाता संख्या 2 की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076, प्रर्दश 2 खाता संख्या 12 की जमाबंदी संवत 2073 से 2076, प्रर्दश 3 खाता संख्या 34 जमाबंदी संवत 2073 से 2076, प्रर्दश 4 खाता संख्या 35 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076, प्रर्दश 5 खाता संख्या 38 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076, प्रर्दश 6 खाता संख्या 39 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076, प्रर्दश 7 वादी की दत्तक माता राय कॅवर का आधार कार्ड की मूल प्रति जिसकी फोटो प्रति प्रर्दश 7 (ए) है, प्रर्दश 8 राशन कार्ड की मूल प्रति जिसकी फोटो प्रति प्रर्दश 8 (ए) है, प्रर्दश 9 वादी की दत्तक माता राय कॅवर का मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति जिसकी फोटो प्रति प्रर्दश 9 (ए) है, प्रर्दश 10 वादी के दत्तक पिता कृपाराम पुत्र बालदान का मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति जिसकी फोटो प्रति प्रर्दश 10 (ए) है, पेश किये।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहरान करते हुए निवेदन किया कि वादी को बचपन में ही वर्ष 2010 में वादी के माता–पिता द्वारा रामकॅवर उर्फ रायकॅवर पत्नि कृपाराम जो वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है व उनके पति कृपाराम पुत्र बालदान को गौद की रस्में अदाकर गौद दे दिया था। तब से वादी अपने दत्तक माता–पिता के पास रहता आ रहा था। वादी की दत्तक माता रामकॅवर उर्फ रायकॅवर पत्नि कृपाराम का देहान्त 20. 03.202 को हो गया। वादी के दत्तक पिता कृपाराम का देहान्त भी दिनांक 23.11.2016 को हो चुका है। वादी के अलावा खातेदार रामकॅवर उर्फ रायकॅवर पत्नि कृपाराम के कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है, वादी एक मात्र वारिस है। इसलिए खाता संख्या 2, 12, 34, 35, 38, 39 व 104 वाके ग्राम बाढ मथुरा दास पटवार हल्का आसलपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में रामकॅवर पत्नि कृपाराम के बजाय वादी श्रीराम किशनावत पुत्र रघुवीर सिंह जाति बारेठ नि0 बाढ मथुरा दास तहसील जोबनेर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट एवं जवाब/मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका के अनुसार वादी को रामकंवर ने गोद ले लिया था। इस तथ्य की ताईद स्वयं वादी द्वारा अपने वाद पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र, मुख्य परीक्षा में की है। गवाह पीडब्ल्यू 2 एवं पीडब्ल्यू 3 द्वारा भी अपने साक्ष्य शपथ पत्र एवं मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि श्रीराम के अलावा रायकवंर उर्फ रामकंवर का अन्य कोई वारिस नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश पी–10ए परिवार राशन कार्ड में भी वादी का नाम बतौर पुत्र के रूप में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

है। उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

## क्रियात्मक आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाकर खाता संख्या 2, 12, 34, 36, 38, 39 व 104 वाके ग्राम बाढ मथुरा दास पटवार हल्का आरालपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आरालपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में रामकँवर पत्नि कृपाराम की बजाय वादी श्रीराम किशनावत पुत्र रघुवीर सिंह जाति बारेठ नि0 बाढ मथुरा दास तहसील जोबनेर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)